

प्रमाणित  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलेक्टर  
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार  
सहायक कलेक्टर  
राजस्थान सरकार

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार, राधाभी की भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री ..... को संदर्भा।

दिनांक :-  
प्रमाणित  
(उपखण्ड अधिकारी)  
सहायक कलेक्टर  
राजस्थान सरकार



क्रमांक: सटिश्ता/5-11(217)2023

क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	लेख	1.	सोमी	483	लेख	लेख लाल
			आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)						

प्रार्थी के "खाला दुजस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रवासी, पटवार हत्का सोमी, में अभिलेख निरीक्षक वृत्त राधाभी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राधाभी की राजस्व अनुबंधा के आधार पर राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा सोमी तहसील राधाभी व जिला त्रिवारंगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाला संख्या 483 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

प्रमाणित :- 217 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संग  
अभिधान-2023

(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च न्यायिक विद्यालय

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पटल सहायक कलेक्टर राधाभी

